न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

अपील संख्या–16/2021 (सू0 का अधि0)

श्री हरिपाल मकान नं0 352, चोथमाता गली, मकबरा बाजार, घंटाघर कोटा (राज0)

–अपीलार्थीया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं जिला रसद अधिकारी कोटा

–प्रत्यर्थी

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u>

दिनांक 23/11/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिपाल मकान नं0 352, चोथमाता गली, मकबरा बाजार, घंटाघर ने दिनांक 15.04.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा के यहॉ एक प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न सूचना चाही गयी है –

1. घरेलू गैस सिलेण्डर घर पर कार्य हेतु वितरित किये है । जिस हेतु शपथ पत्र भी लिया गया है और प्राप्त किया गया है । सिलेण्डर निर्गम हो जाने के पश्चात देखा जाता है कि घरेलू सिलेण्डर, वाणिज्यक कार्य में उपयोग होता जा रहा है । जिसको जानते अथवा देखते है । क्योंकि आप द्वारा कर्तव्य निष्ठा की अनुपालना नहीं की जाती है । जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी है । जिसकी छाया प्रति ।
2. वाज्यिक सिलेण्डर जिसको निर्गम किये जाते है उनकी छाया प्रति ।
3. क्रम एक एवं क्रम दो की तुलनात्मक स्थिति की उपेक्षा एवं तटस्थता जिसकी रहती है । उसकी छाया प्रति ।

उपरोक्त सूचना चाही जाने पर जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने पत्रांक/रसद /रीडर/2021/110 दिनांक 29.4.2021 से श्री कुलजीत कुमार सेल्स ऑफिसर इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन को उपरोक्त वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया, इसके बाद भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

जिला कलक्टर
कोटा

प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं अपील पत्रादि का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेजों की प्रतियां नहीं चाही गई है तथा आवेदन पत्र से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा किस दस्तावेज की प्रति चाहिए उसका उल्लेख नहीं किया है, मात्र काल्पनिक एवं प्रश्नात्मक सूचना चाहते है तथा चाही गई सूचना में घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यक उपयोग के सम्बन्ध में जिक्र किया है, इस बाबत समय समय पर इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यक उपयोग होने पर कार्यवाही भी की जाती है ।

परिणामतः प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को लिखाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा